[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

किसानों को बहुत राहत हो गई है वरना साहूकारों का कर्जा उनको और उनकी जमीन को दोनों को साहूकार खा जाता था। आपने पांच लाख गांवों में ऋण की योजनाएं बनाई हैं। मुझे यह कहना है कि मोनिटेरिंग का कोई अच्छा उपाय सोचें ऐसा न हो कि कुछ लोगों को तो फायदा हो और बाकि ऋण कागजों पर ही बंट जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यानाराण रेड्डी): पांच बज रहे हैं, आपको ज्यादा बोलना हो तो कल बोल लीजियेगा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह: मैं अभी दो मिनट में समाप्त कर रही हूं।

5.00 P.M.

नशीली दवाओं से हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत खराब असर हो रहा है, इसकी रोकथाम की तरफ सरकार का ध्यान गया है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। 1989 को "दक्षेस" वर्ष घोषित कर सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि वह बहुत सीरियस है और इसमें खासकर, उपसभाध्यक्ष महोदया मैं कहना चाहती हूं कि छोटे-छोटे बच्चों पर बहुत बुरा असर हो रहा था, उनके स्कूलों के सामने जो खाने पीने की चीजें बेची जाती हैं उनमें दवाएं मिला दी जाती हैं ताकि बच्चों की आदत बन जाये और वे उसी दुकानदार से खरीदें। इसका उनके शरीर पर बहुत बुरा असर हो रहा है। सेना ने श्रीलंका और मालदीव में निष्ठा और लगन से भारत का नाम ऊंचा किया, इससे हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी की सूझबूझ प्रदर्शित कर रही है। हमारी विदेश नीति सफल रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी चीन गये हैं पाकिस्तान गये हैं। सबसे अच्छी बात हुई है कि मिखाइल गोर्बाचोव को "इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण विकास" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो बड़े देशों के बीच सद्भावना बढ़ी है,सहयोग बढ़ा है, इनकी कड़ी मजबूत हुई है । इससे देश को मजबूती मिलेगी और अंत में उपसभाध्यक्ष महोदय, हम सब युवा पीढ़ी के और जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, इतिहास के पन्नों से सीखकर इस देश को राजीव गांधी के नेतत्व में आगे बढाने का कौशिश करें और जो एक भावना है कि देश 21 वीं सदी में पहुंचे और यदि सभी लोग 19 वीं सदी में ही रह जायें अगर किसी नौजवान के दिल में यह भावना ही न हो, यह स्वप्न ही न आया हो कि हमारा देश 21 वीं सदी में पहुंचे और यदि सभी लोग 19 वीं सदी में ही रह जायें तो यह देश कैसे आगे बढ़ेगा। विरोधी दल के हमारे जो पूर्व नेता बोल रहे थे कि उनका काम खामियां देखना है, तो जो हमारी खामियां हैं, खामियां जरूर दिखायें क्योंकि उससे सरकार सजग होती है, अपनी गलतियों को समझती है लेकिन उसकी वजह से अराजकता तो न फैलायें मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस में हिम्मत है जनता के सामने अपनी समस्याओं को पेश करने की और तरीका ढूंढने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और आपको भी धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे समय दिया।

STATEMENT BY MINISTER

Two Railway Accidents in the Country, on 26th February, 1989

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ सदन को यह सूचित करता हूं कि 26.2.1989 को लगभग 15.30 बजे दक्षिण-पूर्व रेलवे के नागपुर मंडल के अनियंत्रित नैनपुर-जबलपुर छोटी इकहरी लाइन खण्ड पर 3 अप नैनपुर-हाऊबाग-जबलपुर पैसेंजर गाड़ी की दुखद दुर्घटना हुई। जब यह गाड़ी अपने 8 सवारी डिब्बों के साथ शिकारा और सुकरीमंगेला स्टेशनों के बीच चल रही थी तब गाड़ी के इंजन के साथ वाले 5 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से तीन सवारी डिब्बे अर्थात् दूसरा, तीसरा एवं चौथा सवारी डिब्बे कि०मी० 1180/2-4 पर उलट गये। पटरी से उतरने की इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 यात्रियों की जानें गयीं और 90 यात्रियों को चोटें आयीं. 38 यात्रियों को गम्भीर चोटें आयीं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जबलपुर से चिकित्सा अधीक्षक तथा डाक्टरों सहित चिकित्सा राहत यान दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। मंडल रेल प्रबंधक, जबलपुर और मंडल रेल प्रबन्धक, नागपुर अपने अधिकारियों के साथ दुर्घटना-स्थल की ओर रवाना हो गये। स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारीगण भी दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये।

राहत-व्यवस्था देखने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हावड़ा से चले गये हैं।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री माधवराव सिन्धिया, जो ग्वालियर में थे, दिल्ली से भेजे गये एक विशेष हवाई जहाज द्वारा ग्वालियर से दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गये हैं। उनके साथ सदस्य यातायात और सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड भी गये हैं।

पहचाने गये मृतकों के निकट संबंधियों तथा गम्भीर और साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राहत दिये जाने के प्रबंध किये जा रहे हैं। यह राशि घायलों और मृतकों के निकट संबंधियों को देय मुआवजे जिसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामित तदर्थ दावा

[श्री महाबीर प्रसाद]

आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, के अतिरिक्त होगी। इस दुर्घटना की सांविधिक जांच नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय के अधीन पश्चिमी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा हाऊबाग में 1.3.89 से शुरू की जायेगी।

मुझे सदन को अत्यंत दुख के साथ एक अन्य दुर्घटना जो 26-2-1989 को 13.05 बजे पूर्व रेलवे के दानापुर मण्डल में हुई थी, के बारे में भी सूचित करना है। इस दुर्घटना में, जब गाड़ी नं० 413 अप मोकामा-पटना पैसेन्जर गाड़ी बढ़ और अठमल गोला स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो इस का सब से पिछला दूसरा दर्जा-एवं सामान ब्रेकयान, कि०मी० 486/2 पर पटरी से उतर गया, जिससे डाउन लाइन अवरुद्ध हो गई। ठीक उसी समय गाड़ी नं० 328 डाउन दानापुर-हावड़ा फास्ट पैसेंजर इस स्थल से गुजर रही थी और गाड़ी नं० 413 अप पैसेंजर गाड़ी के पटरी से उतरे हुए दूसरे दर्जे के सामान एवं ब्रेक यान से टकरा गई। इसके परिणामस्वरूप चार यात्री मारे गये और तीन घायल हो गये। मण्डल रेल प्रबंधक, दानापुर अपने सहयोगी अधिकारियों और डाक्टरों सहित दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये और घायल यात्रियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता पहुंचायी।

मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह राहत की व्यवस्था की जा रही है। इस दुर्घटना की सांविधिक जांच रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र द्वारा की जाएगी।

मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री माधवराव सिन्धिया और रेलवे के सभी पुरुष और महिला कर्मचारी इन दोनों दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के प्रति गहरी संवेदना और घायल व्यक्तियों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने में सदन भी हमारे साथ है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, यह अत्यंत ही दुखद बात है कि इस तरह की घटनायें हुई हैं और इनते लोग मारे गये हैं और कुछ ही दिनों के अंतर में दो-दो बार इस तरह की घटनायें घटी हैं। इसके पहले भी इस तरह की बड़ी-बड़ी घटनायें घटीं। टोटेलिटी में घटनाओं में कमी हो सकती है, लेकिन इस तरह की घटनायें बहुत घटीं और सरकार बराबर सदन में बयान देती है और कहती है कि हम सुरक्षा कमिश्नर से जांच करवा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि वक्त आया है कि सिर्फ रेलवे के सुरक्षा पदाधिकारियों की जांच से ही हम संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं।

इसलिए माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं इसे किसी हाई कोर्ट के जज को दिया जाए, जो उनकी अपनी गलतियों के बारे में भी कह सके क्योंकि हमको ऐसा अनुभव है कि रेलवे के पदाधिकारी आपस में रिपोर्ट बनाने के वक्त उस संगीनता को नहीं दिखलाते हैं, जो आमदौर पर दिखलानी चाहिए। इसलिए मैं पहला प्रश्न यही जानना चाहूंगा कि सरकार को क्या एतराज है—इस तरह की अपने आप जो सुरक्षा कमिश्नर से जांच हो, जिसमें हम लोग जान सकें कि सचमुच क्या व्यवस्था है और कैसे यह गलती हुई है। अगर कोई दूसरी एजेंसी कहती है और खास करके जूडिशियल कहती है, तो उस पर हम लोगों का ज्यादा भरोसा होगा। मुख्य बात, पहली बात हम आपसे यही जानना चाहेंगे।

दूसरी बात यह है कि यह देखा जा रहा है कि इस तरह की जो घटनायें हुई हैं, वह छोटे-छोटे कर्मचारियों को और दूसरों को पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं के चलते सब कुछ हुआ है क्योंकि उनकी प्रोटैक्शन के लिए कोई ज्यादा इंतजाम नहीं रहता। तो इस तरह से भी यह बात निकलती है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रह रहा है। पिछली कई रिपोर्टस में भी यह बात आई है और जो इन्कवायरी कमेटी रेलवे की बनी थी, उसने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था।

यहां तक होता है कि पुलिस के यहां जो मरे हुए लोगों की संख्या रहती है और रेलवे जो मरे हुए लोगों की संख्या हरेक साल देती है, इस साल भी दी है, उसमें भारी अंतर रहता है। लाशों की गिनती में रेलवे वाले बहुत कम करके देते हैं और पुलिस वाले उचित देते हैं क्योंकि पुलिस तो वहां जो लाश रहती है, उसको पकड़ती है और उसी को देखा जाता है। रेलवे इसका इंतजाम नहीं कर पाती।

इसलिए इस बिंदू पर भी मैं चाहूंगा कि इसकी जांच अलग से हो ताकि सदन आश्वस्त हो सके, देश की जनता आश्वस्त हो सके, यही मेरा निवेदन है।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, यह इस देश का दुर्भाग्य है अभी पिछले वर्ष विमान दुर्घटनाएं हुईं और दोनों एक ही दिन हुईं। माननीय रेल मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है इसके अनुसार रेल दुर्घटनाएं भी दो हुईं और दोनों में एक घंटे का अन्तर था। मान्यवर, दोनों रेल दुर्घटनाएं रेल के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण हुई हैं। यह कोई स्पष्ट कारण मालूम नहीं पड़ता है। 24 घंटे से अधिक हो गए हैं इन दोनों घटनाओं को हुए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो वक्तव्य दिया है इस सदन के अन्दर यह अखबार का ही समाचार है या कि कोई अधिकारिक सूचना आपके पास आई है कि किस प्रकार से यह घटना घटी है? दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 24 घंटे से अधिक समय बीत गया है आपके वक्तव्य से यह परिलक्षित नहीं हो पा रहा है कि अब तक घायलों को अथवा मृतकों के आश्रितों को किसी प्रकार की सरकार से कोई आर्थिक सहायता देने

की घोषणा की गई या नहीं की गई। यदि नहीं की गई तो क्या इसमे सरकार की और आपके रेलवे विभाग की जिम्मेदारी और लापरवाही नहीं है? इसी से संबंधित मेरा तीसरा प्रश्न होगा माननीय रेल मंत्री जी से कि रेल की पटरियों की जांच होनी चाहिए। इसके लिए इंसपैक्टर्ज़ होते हैं। क्या अब तक मंत्री जी को सरसरी तरीके से कुछ जानकारी मिली है कि जहां-जहां दोनों रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वहां की रेल पटरियों की जांच कब हुई थी और अधिकारियों या इंसपैक्टरों के द्वारा और क्या इनकी लापरवाही के कारण यह घटना नहीं हुई है?

अंत में उपासभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल उप मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जैसा माननीय चतुरानन मिश्र जी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच किसी माननीय जस्टिस से कराई जाए और साथ ही क्या आप तत्काल इस सदन में इस प्रकार की घोषणा भी करेंगे कि मृतकों के परिवार वालों को और जो घायल हैं उन लोगों की सहायता के लिए आज ही तत्काल कितनी धनराशि की सहायता दी जा रही है?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी): डा० येलामनचिली शिवाजी।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, every year accidents are taking place on the Railways and the honourable Minister has given a standard statement in this House on these two accidents. Earlier, several Committees were appointed to go into the causes of the accidents and into the question of prevention of such accidents. As far back as in 1958, more than thirty years ago, the Shah Nawaz Khan Committee was appointed; then, in 1962, the Kunzru Committee was appointed; in 1968, the Wanchoo Committee was appointed; and in 1978, the Sikri Committee was appointed. What happened to the recommendations of these Committees? According to all these Committees, it has been noted, human failure is the main factor for the recurrence of such accidents. The periodic inspection of the coaches and wagons is completely lacking and the preventive maintenance schedule is not being adopted. Periodic overhauling of the coaches and wagons is also absent and the quarterly inspection of the vehicles is also doubtful. These Committees also have made certain recommendations regarding safety improvements and for the prevention of recurring signal failure and other things. But precious little has been done to implement all these recommendations of these Committees. The well-organised and technically manned *RDSO has suggested* several improvements in the running of the railways in the country. The honourable Prime Minister and also the Railway Minister day in and day out are saying that they are taking the people of the this country on a voyage to the 21st century and in the Railway Budget Speech of the Minister it has been mentioned that measures are being taken to prevent accidents.

But even before discussing the Railway Budget two accidents took place on a single day. It reveals the callousness of the Railways. And, as usual, an inquiry committee will be appointed. In the statement it is mentioned that there is a standard relief or *ex gracia* payment, for the dead, for the injured and for other people. But the main point is this. I do not expect the hon. Minister or Deputy Minister to resign like Shri Lal Bahadur Shastri because of this mishap. But you be a little bit sensitive and see that the recommendations offered by the expert committees are implemented. So I would like to know from the hon. Minister, what steps have been initiated by the Government to implement the recommendations of the earlier expert committees as far as the railway accidents are concerned?

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, these two accidents took place almost in the same hour on the 26th of this month. Only two days back, on the 23rd of February 1989, the Railway Minister presented the Railway Budget to the two Houses of Parliament, and in the Budget speech he has made a very boastful claim how under his stewardship railway accidents have come down, and he has claimed credit for it. Now, Sir only two days later two accidents have taken place at the same time on two sister railways, South-eastern Railway and

[Shri Sukomal Sen]

Eastern Railway. It is a sad commentary on that pride that the hon. Minister has taken on that day while presenting the Budget. Sir, these two accidents also disprove the hollow claim of the Railway Minister that the Railway Minister is taking all sorts of steps to reduce the number of accidents and to see that these accidents are minimized in the near future.

Sir, something basically is wrong in the Railways. As my learned friend has just now said, so many committees were appointed previously to go into these things why so many accidents are taking place. They have made a number of recommendations. While discussing the Railways we have a number of times pointed out what happened to those recommendations of these committees like the Pande Committee, Sikri Committee, and others. They said: yes, we are acting upon them. Now, after these accidents in the statement there is nothing new. The Safety Commissioner will start the inquiry and some relief has been given, doctors have been sent there, treatment is being arranged, some *ex gratia* payment has been made, and so on. In the first accident a number of people have died. Twenty-four people have instantly lost their lives, according to Government figures, and 90 are injured, 38 grievously injured.. How many will survive nobody knows. This is the condition. A huge number of passengers have been made victims of this callousness. This is how they are ruuning the railways. Coaches have derailed. Why have they derailed? What is the reason of derailment?

There must be a defect in the railway track, railway line, with the coaches and the rolling stock. Some problem is there.

I would like to seek one clarification. Many Members have raised this issues of inquiry. Safety Commissioner's inquiry is a rountine inquiry. In the next Budget the Railway Minister will come up again with the claim that they have reduced the number of accidents, like this. I would like to know whether after these two accidents in two sister railways after two days of the presentation of the Budget, the Railway Minister is prepared to constitute a high power inquiry committee where some judicial persons will be there, where Members of Parliament will be there, where some railway officials will be there and representatives of passengers' associations will be there, to go into the matter thoroughly, and I would also like to know how far the Railway Minister has implemented the recommendations of the expert committees earlier appointed by the Railway about railway safety, how far they have taken precautions to minimise the railway accidents and what recommendations they have made to the Railway Ministry so that they may take action and the railway accidents are minimised. I would like to know whether the Railway Minister is prepared to accept the suggestion of forming such a committee to go into the entire gamut of railway accidents so that these accidents can be checked. Only a few months back, to aircraft crashed the same day. These are the two modes of communication in our country. One is by air and the other is by land. Planes crash in the air and the trains are getting derailed on land. This is the condition of our country. Will the Railway Minister go into it thoroughly and appoint a high power committee so that these things can be checked?

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, one of the reasons for derailment is non-renewal of the railway track and fractures on the rails. I would like to know from the hon. Minister whether the rails were renewed in these two sections. If so, was any inspection done? After finding that the track has to be renewed, was renewal done? If so, when was it done? Secondly, the Minister has not given the figures of *ex gratia* payment to be given to the dead and the injured. Has the Railway Ministry decided upon the quantum of *ex-gratia* payment to be made

to the dead and the injured? If so, what are the figures?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will ask only one clarification. We have seen that these accidents are taking place daily. In the case of air accidents and railway accidents, *ad hoc* payments are being made as compensation to the deceased and the injured. Will the Minister tell us whether there is any scheme under consideration of the Railway Ministry regarding an in-built insurance for payment to such persons? Just as in the case of air accidents where there is an in-built insurance in the fare itself apart from the insurance policy that one may buy at the airport for Rs. 50,000 or Rs. 100,000 there should be an in-built insurance system in the railway fare itself. Is there an in-built system of compensation? Will the hon. Minister consider that in the case of railway passengers also there is an in-built compensation system of insurance thereby ensuring automatic payment to the victims besides the *ad-hoc* assistance.

श्री महाबीर प्रसाद: महोदय, हमारे सभी विद्वान सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए जबकि मैंने पहले ही अपने मूल वक्तव्य में यह साफ कहा था, जैसाकि माननीय मिश्र जी ने मुद्दा उठाया कि क्या हम कोई दूसरी समिति बनाकर इसकी जांच करा सकते हैं? तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी यह जांच करता हैं, उसका संबंध रेलवे विभाग से नहीं है, नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय से संबद्ध संरक्षा आयुक्त इसकी जांच करते हैं। उसमें दूसरी समिति बनाने का औचित्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र: हम हाईकोर्ट जज के बारे में कहते हैं। इसलिए कि हवाई जहाज में तो लोग यात्रा करते हैं उनको एक लाख मिलता है इसमें गरीब लोग यात्रा करते हैं इसलिए 25-50 हजार देते हैं।

श्री महाबीर प्रसाद: यदि हवाई जहाज में यात्रा करने वालों को एक लाख देते हैं तो हम अनुग्रह राशि 5 हजार देते हैं। जो व्यक्ति दुर्घटना में मर जाता है उसको एक लाख और जिनको गंभीर चोट लगती है उनको 20 हजार से एक लाख के बीच में देते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं यह कह रहा हूं कि यह हवाई जहाज में ज्यादा है क्योंकि उसमें धनी लोग यात्रा करते हैं।

श्री महाबीर प्रसाद: महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इस बारे में निर्णय सुरक्षा आयुक्त की जांच के आधार पर करते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: आयुक्त को हम नहीं जानते, हम तो मंत्री महोदय को जानते हैं। यह भेदभाव क्यों है? क्योंकि इसमें गरीब लोग यात्रा करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं। आयुक्त अपनी जगह पर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी): जो अंतर है इसके बारे में ...**(व्यवधान)**...

श्री महाबीर प्रसाद: माननीय मिश्र जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है यह नीतिगत प्रश्न है और इस पर मैं इस समय कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। इस पर हम बाद में विचार करेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री चतुरानन मिश्र: नियम के मुताबिक तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है ...**(व्यवधान)**...

श्री महाबीर प्रसाद: माननीय यादव जी आप तो पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी): महावीर प्रसाद जी, मिश्र जी का यह कहना है कि रेलवे एक्सीडेंट में जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत ही कम है। इसके बारे में आप नोट कर लीजिए उनकी जो राय है और यदि नीति बदलनी हो तो बदलिए।

श्री महाबीर प्रसाद: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैंने नोट कर लिया है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी): आप इसके बारे में सोचिए और यदि नीति बदलनी हो तो बदलिए। रेलवे एक्सीडेंट में जो मरते हैं गरीब होते हैं, उनको मुआवजा कम मिलता है।

श्री जगेश देसाई: गरीबों की जान की कीमत कम होती है क्या?

श्री महाबीर प्रसाद: श्रीमान्, मैंने पहले ही कह दिया है कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, perhaps, the hon. Minister is not aware that there is a rule in the

[Shri Sukomal Sen]

Railways that for an accident death in the Railways, they can pay compensation up to a maximum of Rs. 1 lakh. The point is whether the maximum amount will be given to these people.

SHRI CHATURANAN MISHRA: We want Rs. 1 lakh to be the minimum. That is my point.

SHRI SUKOMAL SEN: Rs. 1 lakh should be the minimum here.

श्री चतुरानन मिश्र: ज्यूडिशियल करके आप सबके सामने स्पष्ट आ जाएगें आपको भी तो मदद मिलेगी।

श्री महाबीर प्रसाद: आप तो मेरी मदद करते ही हैं। इस चीज को मैंने नोट कर लिया है। दूसरा, हमारे माननीय सदस्य ने यह बताया कि एक्सीडेंट जो हैं इधर काफी बढ़ गये है लेकिन मैं बताना चाहता हूं उन्हें कि दुर्घटनाएं क्रमशः कम हुई हैं और 12 प्रतिशत कम हुई हैं। 1984-85 में 812, 1985-86 में 717 ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी): इससे ही आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोकना चाहिए।

श्री महाबीर प्रसाद: मैं इसलिए कह रहा था कि ये दुर्घटनाएं कम हुई हैं, मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि दुर्घटनाएं कम हों। इसमें ट्रेक की कमी या जो भी है, ये सारी सूचनाएं कि कैसे दुर्घटनाएं हुई जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे वरिष्ठ मंत्री महोदय और संबंधित सभी रेलवे बोर्ड के अधिकारी मौके पर गए हैं तथा जो भी सूचनाएं वहां से आएंगी उनके आधार पर फिर अग्रिम सूचना हम आपको बताएंगे। और जैसा माननीय ईश दत्त यादव जी ने कहा कि अखबार की सूचनाएं नहीं, यह सूचनाएं जो दी हैं सम्पर्क करके हमने दी हैं और इसके बाद भी जो सूचनाएं हमारे मंत्री महोदय गए हैं और सदस्य यांत्रिक गए हैं, सदस्य यातायात गए हैं, वे वहां से आएंगे तो हम उसके बाद और भी सूचनाएं आपको बता देंगे। साथ ही साथ यह जो कमेटी और पटरियों के संदर्भ में आपने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने प्रावधान किया है कि ट्रेक की संरक्षा के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए हम विशेष ध्यान देने जा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जगेश देसाई: यहां पर हुआ है या नहीं?

श्री महाबीर प्रसाद: हमने नोट कर लिया है, हम इसका पता लगाएंगे कि यहां पर हुआ है या नहीं उसके बाद आपको सूचित कर देंगे। तीसरी बात हमारे विद्वान सदस्य ने पूछा कि वांचू कमेटी, खुंजरु कमेटी और कमेटियां थी 1962 में, 1968 में, 1978 में जो कमेटियां बनीं उन कमेटियों की रिपोर्ट, उनकी आख्या के आधार को सरकार ने अधिकतर मान लिया है।

हमने बहुत से काम किए हैं और कुछ ऐसी संस्तुतियां हैं जिन पर हमको अभी काम करना हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं और भविष्य में उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री जगेश देसाई: ऐक्सग्रेशिया पेमेंट देने के बारे में आपने क्या किया है, कितना दिया है?

श्री महाबीर प्रसाद: जो हम अनुग्रह राशि देते है वह 250 रुपए से 5 हजार रुपए तक देते हैं। वहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तदर्थ आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए मैंने मूल वक्तव्य में कहा कि यह निर्णय किया जाएगा कि कितनी अनुग्रह राशि दी जाए। जब मेरे पास सूचना आएगी तो अग्रिम सूचना आपको पेश करेंगे।

श्री ईश दत्त यादव: अब तक 24 घंटे में आर्थिक सहायता दी गई या नहीं, इसका उत्तर तो दें।

श्री महाबीर प्रसाद: माननीय सदस्य को मैंने इसीलिए कहा था कि हम सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर कितनी अनुग्रह राशि दी गई।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): The House is adiourned and it will meet again tomorrow, 28th February, 1989, at 11 A.M.

The House then adjourned at thirty two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 28th February, 1989.